

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्ती

मनीष वर्मा बनाम ज्योतिष व अन्य

क्रमांक 44/18

धारा: 53, 188 P.T.A

दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	दिनांक विवरण
	<p>दिनांक 11/4/22 को पेशादी</p> <p style="text-align: right;"><i>36</i> उप खण्ड अधिकारी बस्ती (जिला जयपुर)</p>	
11/4/22	<p>पत्रावली पेशादी पत्रावली पर वकील वादी के द्वारा एक वाद फिर समझ पाए पत्रावली दिनांक 25/4/22 को पेशादी</p> <p style="text-align: right;"><i>36</i> उप खण्ड अधिकारी बस्ती (जिला जयपुर)</p>	
25/4/22	<p>पत्रावली माफ पेशादी डुरी वादी एवं वकील वादी को उपस्थित कर-कर माफाज लगाया जा रहा है। कोर उपस्थित नहीं आया। इससे यह पुष्ट होता है की वादी एवं वकील वादी वाद पठा के मुकदमा करके हेतु करके वसूल नहीं ही लिखाजा वादी का वाद माफ पेशादी माफ हाजरी में उपस्थित किया जा रहा है। पत्रावली फौजदारी कोर्ट से कान डेन पर वादिल वसूल है।</p> <p>निर्णय माफ दिनांक 25/4/2022 को सुप्रीम न्यायालय एवं सेंट इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><i>36</i> उप खण्ड अधिकारी बस्ती (जिला जयपुर)</p>	